



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127295

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20460 वर्ष 2026

शहज़ाद

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राहुल कुमार तिवारी, संजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायामूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार तिवारी और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह वर्तमान जमानत याचिका, पुलिस स्टेशन- छपार, जिला- मुज़फ़्फ़र नगर के वाद अपराध संख्या 78/2026, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक प्रकरण दर्ज है, और उस प्रकरण में आवेदक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि, गैंग चार्ट में उल्लिखित प्रकरण के अलावा, आवेदक का नौ अन्य प्रकरणों में आपराधिक इतिहास है, जिनका विवरण और स्पष्टीकरण आवेदक की ओर से दायर पूरक शपथ-पत्र में दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्त, वाज़िद को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध

जमानत याचिका संख्या 17834 वर्ष 2026 में दिनांक 25.05.2026 के आदेश के माध्यम



से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसलिए, आवेदक उक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता का दावा करता है और समान राहत की मांग करता है।

4. उन्होंने आगे कहा कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवेदक के विरुद्ध सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के साथ-साथ अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह का अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट हैं। आगे कहा कि अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी कृत्य या त्रुटि के आरोप के अभाव में, कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पोषणीय नहीं है।

वर्तमान प्रकरण में, प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक प्रकरणों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या तथ्यों की खोज पर जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग बदला लेने, नागरिकों को परेशान करने या डराने, अथवा राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

6. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या उच्च अधिकारियों या सत्ताधारी दल से प्रशंसा पाने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह मानने के उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक जमानत पर रहते हुए न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी भी तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या साक्षीयों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस प्रकरण में 8.5.2026 से कारावास में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती है, तो वह विधि की प्रक्रिया से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत



नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने पर, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की याचिका का विरोध किया है, लेकिन यह माना है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित प्रकरण में, आवेदक जमानत पर है। वह इस बात को भी नहीं झुठला सके कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। लेकिन, उन्होंने आगे यह तर्क दी कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और आदतन अपराधी है। अगर आवेदक को जमानत मिलती है, तो वह फिर से वैसी ही असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और साक्षियों को डरा-धमकाकर जमानत का अनुचित लाभ उठाएगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नानुसार है:

(4) संहिता में निहित किसी बात के बावजूद, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, जमानत या निजी मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

a. लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के याचिका का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(b) जहां लोक अभियोजक याचिका का विरोध करता है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

12. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों, गैंग-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।



13. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 में, यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के सुरक्षात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता, बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई भी शामिल होगी। सर्वोच्च न्यायालय लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरविचारण प्रिज़नर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, यह माना गया था कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे के लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

सैद्धांतिक रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कर्मों का बुरा परिणाम तब तक नहीं भोगना चाहिए जब तक कि वह किसी निष्पक्ष निर्णायक के सामने साबित न हो जाए। लेकिन, व्यावहारिक जीवन की वास्तविकता को देखते हुए, जहाँ एक प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करनी होती है और मुकदमे के दौरान किसी संभावित अपराधी को खुला छोड़ने से समाज को होने वाले खतरे को कम करना होता है, न्यायालयों को यह निर्धारित करना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई लंबित रहने तक रिहा किया जाए या नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और अभियुक्त ने अधिक समय तक कारावास भुगत लिया है, तो न्यायालयों को आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करना चाहिए।

14. उपरोक्त पक्षों की तर्कों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश और दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2018) 3 एससीसी 22 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. व अन्य, एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 5191/2021 में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार किया जाता है।

15. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक शहज़ाद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि के एक व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।



(ii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-A भा0द0सं0/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-A भा0द0सं0/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) प्रकरण के खुलने, (2) आरोप निर्धारित करने और (3) द0प्र0सं0 की धारा 313/बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना खुला होगा।

16. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत खारिज करने का आधार बनेगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां साक्षियों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

फ़हद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)